राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे, स्थान–सभाकक्ष, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नया रायपुर में श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के निम्न सदस्य उपस्थित थेः–

1. श्री एन.आर. यादव, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री विनय कुमार मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
7. श्री अरुण प्रसाद, सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

प्रारंभ में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। ऐजेण्डा के क्रम में निम्नानुसार चर्चा की गईः–

ऐजेन्डा आईटम नं.–1: 246वीं बैठक दिनांक 19/01/2018 के कार्यवाही विवरण अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 246वीं बैठक दिनांक 19/01/2018 को आयोजित की गई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है तथा समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा। इसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

ऐजेन्डा आईटम नं.–2: दिनांक 17/01/2018 तक प्राप्त नये आवेदन (प्रथम बार चर्चा हेतु) के पर्यावरणीय स्वीकृति /टीओआर बाबत् निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स आरती इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डकॉन लिमिटेड, ग्राम–बरौदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (666)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी/ एनसीपी / 72138 / 2018, यह आवेदन दिनांक 09/01/2018 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लाट नं. बी–15, सेक्टर–15, ग्राम–बरौदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के अंतर्गत कुल भूमि क्षेत्रफल 24,643 वर्गमीटर (2.464 हेक्टेयर) में कुल निर्मित क्षेत्रफल 98,226.87 वर्गमीटर मल्टीस्टोरी

बिल्डिंग कंसट्रक्शन प्रोजेक्ट (रेसीडेंशियल एण्ड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट) कार्यकलाप के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अनुमोदित ले–आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाये।
3. ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
4. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुर्नउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाये।
5. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाये।
6. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
7. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
8. ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये।
9. ग्राउण्ड वॉटर रिर्चाजिंग हेतु रेन वॉटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सेमरदर्री, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर (667)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन/ 72154/2018, यह आवेदन दिनांक 10/01/2018 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट खदान (गौण खनिज) है। प्रस्तावित खदान खसरा नम्बर 1238/1, 1239, 1240, 1241/1ग, 1442/2, 1242/2, 1242/3, 1243/1, 1243/3, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1248/1,

1248/2, 1249/1, 1249/2, 1245, 1246, 1247/1, 1247/2, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1252, 1253/1, 1253/2, 1254, 1256/1, 1256/2, 1267, 1270/1, 1270/2, 1270/3, 1271/1, 1272/2, 1273/3, 1273/1, 1273/4, 1274/5, 1273, 1276, 1273/3, 1273/5, 1273/6, 1274/2, 1277, 1214 एवं 1215, ग्राम–सेमरदर्री, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 13.995 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 57,250.8 टन / वर्ष है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती / जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एल.ओ.आई. / लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की जाये।
2. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. मेसर्स अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–उरला, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (668)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 72171/ 2018, यह आवेदन दिनांक 10/01/2018 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया के प्लाट नं. 162(ए) एवं खसरा नं. 184/1, 184/2, 184/4, 193/6, 184/3, 184/5, 193/3, 193/4, 193/5, 193/7, 194/2 एवं 195/2, कुल एरिया 0.959 हेक्टेयर (2.37 एकड़), ग्राम–उरला, तहसील एवं जिला–रायपुर के अंतर्गत हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन/वर्ष से 57,670 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का कुल विनियोग रुपये 2390.98 लाख होगा।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त की जाये।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।

3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये। यह स्पष्ट किया जावे कि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
4. वर्तमान रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी गणना सहित। क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल में यदि री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
5. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।
6. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
7. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

4. मेसर्स रेडिएन्ट कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गतोरा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (669)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएमआईएन/ 21623/2018, यह आवेदन दिनांक 12/01/2018 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नम्बर 482/1, 482/2, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493/1, 493/2, 493/3, 495, 496/1, 496/2, 496/3, 508/2, 508/3, 508/4, 511/1, 511/2, 512/1, 512/2, 513/3, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524/1, 524/2, 525, 554, 555 एवं अन्य, ग्राम–गतोरा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर,

के अंतर्गत कुल एरिया 17.6 एकड़ में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता – 0.96 मिलियन टन / वर्ष (वेट टाईप कोल वॉशरी) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। परियोजना की कुल विनियोग रुपये 15 करोड़ है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. अन्य वैकल्पिक स्थलों के चयन के साथ कोल वॉशरी स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से चयनित किये जाने की जानकारी प्रस्तुत करे।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों (यदि कोई हो) हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
4. ग्राउंड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।
5. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुर्नउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाये।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, रॉ–कोल, वाश्ड कोल, रिजेक्ट कोल के परिवहन रुट एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत की जाये।
7. ठोस अपशिष्टों (रिजेक्ट कोल एवं कोल स्लज) के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
8. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
9. ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये।
10. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. मेसर्स प्राईम इस्पात लिमिटेड, ग्राम–बाना, हीरापुर रोड, तहसील व जिला–रायपुर (631)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 20079 / 2017, यह आवेदन दिनांक 14 / 01 / 2018 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित उद्योग है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् खसरा नम्बर 248 / 1, 248 / 2, 249 / 1, 189 / 1, 190, 191 / 2, 195 / 16, 236 / 2, 240 / 1, 240 / 2, 240 / 3, 243 / 1, 245 / 7, 249 / 2, 249 / 3, 244, 245 / 1, 245 / 3 एवं 245 / 3, कुल एरिया–7.4 हेक्टेयर, ग्राम–बाना, पोस्ट–हीरापुर, तहसील एवं जिला–रायपुर के अंतर्गत इन्डक्शन फर्नेस यूनिट क्षमता – 33,600 से 1,41,600 टन / वर्ष, री–रोलिंग मिल क्षमता – 1,08,000 से 1,34,600 टन / वर्ष (वर्तमान में स्थापित बिलेट्स री–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल की क्षमता 1,08,000 टन / वर्ष को कम करते हुये 90,000 टन / वर्ष थ्रु बिलेट्स री–हिटिंग फर्नेस एवं 44,600 टन / वर्ष थ्रु हॉट चार्जिंग) (क्षमता विस्तार उपरांत) तथा फेब्रिकेशन ऑफ रेल्वे ट्रेक आइटम्स क्षमता – 36,000 टन / वर्ष, एल.आर.एफ. / ए.ओ.डी. / व्ही.ओ.डी. क्षमता – 20 मीट्रिक टन के टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का कुल विनियोग रुपये 9339. 27 लाख प्रस्तावित था।

पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 644 दिनांक 25 / 01 / 2011 द्वारा उद्योग को रोलिंग मिल क्षमता – 43,200 से 1,08,000 टन / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 602 दिनांक 30 / 10 / 2017 द्वारा क्षमता विस्तार का प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स /एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटलर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15 / 01 / 2018 को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20 / 01 / 2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। श्री पवन कुमार अग्रवाल, डॉयरेक्टर समिति के समक्ष उपस्थित होकर बताया गया कि ईआईए रिपोर्ट तैयारकर्ता सलाहकार भी आज उपस्थित है, अतः सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। समिति के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / सुनवाई के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी, उनके द्वारा स्वयं समिति के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त बाबत् अनुरोध किया गया है। समिति की आज की बैठक दिनांक 20 / 01 / 2018 में विचाराधीन अन्य प्रकरणों में कोई भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुतीकरण / सुनवाई हेतु अनुरोध नहीं किया गया है। विचार विर्मश उपरांत समिति द्वारा इस विचाराधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्तुतीकरण के लिए श्री पवन कुमार अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त करना आवश्यक है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. समीपस्थ शहर रायपुर लगभग 9.83 कि.मी. की दूरी में स्थित है। स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा माना, रायपुर 23.61 कि.मी., रेल्वे स्टेशन रायपुर लगभग 9.83 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 635 मीटर की दूरी पर स्थित है।
4. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
5. **प्रस्तावित एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन संबंधी विवरण:–**

Facility Name	**Existing Capacity**	**Proposed Expansion**	**Proposed Capacity After Expansion**
Induction Furnace with CCM to produce MS Ingot / Billet	33,600 TPA	1,08,000 TPA	1,41,600 TPA
LRF/AOD/VOD 20 Ton Capacity	-	20 MT	20 MT
Rolling Mills to Produce Rerolled Steel Products			
a) Coal / F.O. fired Billet Reheating Furnace for Billet Reheating	1,08,000 TPA	**-** 18,000 TPA	90,000 TPA
a) Online Hot Charging Rerolling Mill	Nil	44,600 TPA	44,600 TPA
Total : Rerolling Facility	1,08,000 TPA	26,600 TPA	1,34,600 TPA

Fabrication of Railway track items like Fish Plates etc. Involving of 1 Object Reheating up to 900 ^{0}C and 1 Annealing / tempering through Furnace up to 850 ^{0}C and subsequent fabrication by drilling; shaping; forging etc.	-	36,000 TPA	36,000 TPA
Emergency DG set	750 kVA	-	750 kVA

6. वर्तमान में 03 नग इण्डक्शन फर्नेसेस (02 गुणा 15 टन एवं 01 गुणा 10 टन) स्थापित एवं कार्यरत है। 01 गुणा 15 टन का इण्डक्शन फर्नेस स्टेंड बाई स्थिति में रखा गया है। क्षमता विस्तार के तहत् अतिरिक्त इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना नहीं की जावेगी। क्षमता विस्तार के तहत् माईल्ड स्टील बिलेट्स क्षमता – 33,600 से 1,41,600 टन / वर्ष उत्पादन करने हेतु स्थापित इण्डक्शन फर्नेसेस से हीट की संख्या में वृद्धि एवं स्टेंड बाई में रखे गये 01 गुणा 15 टन के इण्डक्शन फर्नेस का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार के तहत् प्रोड्युसर गैस (02 नग कोल गैसीफॉयर प्लांट क्षमता 2,600 सामान्य घनमीटर / घंटा एवं 3,900 सामान्य घनमीटर / घंटा) आधारित बिलेट्स री–हीटिंग क्षमता 1,08,000 टन / वर्ष को घटा कर 90,000 टन / वर्ष एवं हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता 44,600 टन / वर्ष स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार के तहत् फेब्रिकेशन ऑफ रेल्वे ट्रैक आईटम्स 109 टन / दिन उत्पादन हेतु 01 आब्जेक्ट री–हीटिंग फर्नेस, एनीलिंग/ टेम्परिंग फर्नेस, ड्रिलिंग, शेपिंग, फोर्जिंग इत्यादि मशीनों की स्थापना प्रस्तावित है।

7. वर्तमान में क्लीन टेक्नॉलाजी गैसीफॉयर आधारित बिलेट री–हीटिंग फर्नेस रोलिंग मिल क्षमता 25 टन / घंटा (400 टन / दिन) स्थापित एवं कार्यरत है। क्षमता विस्तार के तहत् गैसीफॉयर आधारित बिलेट री–हीटिंग फर्नेस रोलिंग मिल क्षमता 17 टन / घंटा (273 टन / दिन) एवं हॉट चार्जिंग सिस्टम आधारित री–रोलिंग मिल 135 टन/दिन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फेब्रिकेशन ऑफ रेल्वे ट्रैक आईटम्स निर्माण के तहत् कोई पेटिंग या गेल्वेनाईजिंग आदि का कार्य नहीं किया जावेगा।

8. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – शेड का क्षेत्रफल 1.54 (20.82 प्रतिशत) हेक्टेयर, रोड एव पेव्ड क्षेत्र 0.71 (9.60 प्रतिशत) हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 2.559 (34.59 प्रतिशत) हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.589 हेक्टेयर (34.99 प्रतिशत) है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 7.398 हेक्टेयर है। क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

9. हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.589 हेक्टेयर (34.99 प्रतिशत) होगा। वर्तमान में 1,500 नग वृक्षारोपण किया गया है एवं वर्ष 2017–18 में 5,000 नग पौधे रोपित किया जावेगा।

10. **रॉ–मटेरियल** – इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 1,34,520 टन/वर्ष, पिग आयरन हैवी स्क्रैप – 28,320 टन/ वर्ष एवं फेरो एलॉयज – 1,415 टन/ वर्ष का उपयोग किया जावेगा। रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में हॉट मेटल/इंगाट्स/बिलेट्स – 1,41,600 टन/वर्ष

एवं कोल अथवा फर्नेस ऑयल – 9,000 टन/वर्ष अथवा 3,150 कि.ली./वर्ष का उपयोग कर रोल्ड प्रोडक्स का उत्पादन किया जावेगा। फेब्रिकेशन ऑफ रेल्वे ट्रैक आईटम्स के लिये स्पेशल स्टील बिलेट्स को मार्केट से क्रय किया जावेगा। रॉ–मटेरियल्स को परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुए ट्रकों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाया जावेगा।

11. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से रोलिंग मिल 1,08,000 टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई है, जो दिनांक 31/10/2017 तक की अवधि हेतु वैध है।

12. **जल खपत एवं स्त्रोत** – क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु 66 कि.ली./दिन (घरेलु उपयोग हेतु 12 कि.ली. / दिन एवं अन्य हेतु 54 कि.ली. / दिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति भू–जल से की जावेगी।

13. **जल प्रदूषण नियंत्रण** – घरेलु दूषित जल की मात्रा 08 कि.ली./दिन होगी, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुर्नउपयोग किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाया जावेगा।

14. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – इण्डक्शन फर्नेसेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु स्मोक हुड, आईडी / एफडी फैन के साथ बेग फिल्टर एवं 33 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। री–रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु वॉटर स्क्रबर आधारित फ्लु गैस क्लिनिंग सिस्टम के साथ हॉट एयर रिकूपरेटर एवं 33 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार उपरांत सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। परिसर के चारों तरफ वृक्षारोपण किया जावेगा।

15. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत मिल स्केल – 3,500 टन / वर्ष, स्लेग – 21,187 टन / वर्ष, मिस रोल एवं एण्ड कटिंग – 3,500 टन/ वर्ष, टार – 180 टन/ वर्ष एवं कोल ऐश – 3,150 टन/ वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को मिनी स्टील प्लांट इकाईयों को विक्रय किया जायेगा। मिस रोल एवं एण्ड कटिंग फेरो एलॉयज निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जायेगा। स्लेग को मेटल रिकवरी युनिट्स को उपलब्ध कराया जावेगा। टार को अधिकृत रिसायक्लर को उपलब्ध कराया जावेगा। कोल ऐश को ईट निर्माण इकाईयों को दिया जावेगा।

16. स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल वायु प्रदूषण भार संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

S.No.	Scenario	PM	SO_X	NO_x	Calculated Pollution Load
					(Unit : g/s)
		Comparison 1			
1.	**Scenario Existing:** 108000 TPA Rolling Mill with 150 Kg of Coal per MT+ 33600 TPA Induction Furnace+ 750 KVA emergency DG Set calculated based on	0.367	5.683	5.145	11.195

	emission rate 50 Mg/Nm^3				
2.	**Scenario Proposed:** 90000 TPA (45000 TPA + 45000 TPA) Coal based Billet Reheating Furnaces (100 Kg/MT coal requirement) + 141600 TPA Induction Furnaces along with 44600 TPA Hot Charging Rolling Mill + F.O. Operated 24000 TPA Annealing furnace, 12000 TPA Fish Plate furnace in which only 2000 TPA will required to be heated through FO (@ 30 Litre/Ton of FO requirement)and 35 Mg/Nm^3 emission rate	0.286	4.525	3.563	8.374
	Comparison 2				
3.	**Scenario Existing:** (108000 TPA F.O. based Billet Reheating Furnaces (@50 ltr/MT F.O. requirement) + 33600 TPA Induction Furnaces) + 750 KVA emergency DG Set calculated based on emission rate 50 Mg/Nm^3	0.178	9.471	2.115	11.764
4.	**Scenario Proposed:** 90000 TPA (45000 TPA + 45000 TPA) FO based Billet Reheating Furnaces (FO@ 35 Lit/MT product) + 141600 TPA Induction Furnaces along with 44600 TPA Hot Charging Rolling Mill + F.O. Operated 24000 TPA Annealing finance, 12000 TPA Fish Plate furnace in which only 2000 TPA will required to be heated through FO (@ 30 Litre/Ton of FO requirement)and 35 mg/Nm^3 emission rate	0.214	6.893	1.922	9.028

17. **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार

ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है।

18. **विद्युत खपत** – क्षमता विस्तार उपरांत 17.24 मेगावॉट विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जावेगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 750 केव्हीए का डी.जी. सेट एकॉस्टिकली प्रुफ इंक्लोजर में स्थापित करना प्रस्तावित है।

19. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिंटरिंग कार्य अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 05 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 02 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 05 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

20. परिवेशीय वायु गुणवत्ता अध्ययन के प्राप्त परिणामों के अनुसार पीएम$_{10}$ 47.0 से 110.7 माईक्रोग्राम /घनमीटर, पीएम$_{2.5}$ 12.7 से 41.1 माईक्रोग्राम /घनमीटर, एस.ओ.$_2$ 5.0 से 21.6 माईक्रोग्राम /घनमीटर एवं एन.ओ.$_{\text{एक्स}}$ 7.9 से 29.4 माईक्रोग्राम /घनमीटर है। मृदा गुणवत्ता अध्ययन किया गया है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार बताई गई है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 49.8 डीबीए से 71.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 39.8 डीबीए से 67.6 डीबीए पाया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार समिति सम्यक् रुप से विचार उपरांत (Due Diligence) इन्व्हायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट तथा लोक सुनवाई की आवश्यकता के संबंध में निर्णय लेकर प्राप्त आवेदनों पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में मूल्यांकन करेगी। उक्त प्रावधान के आधार पर तथा कुल ईंधन उपभोग में कमी, फ्लु गैस उर्त्सजन की मात्रा में कमी, पीएम, एसओ$_{\text{एक्स}}$, एनओ$_{\text{एक्स}}$ उत्सर्जन में कमी के दृष्टिगत क्षमता विस्तार से वायु प्रदूषण भार मे वृद्धि नहीं होने के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार हेतु लोक सुनवाई से छुट देने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त होने पर एवं उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत तथ्यों के आधार पर लोक सुनवाई की आवश्यकता होने / छुट देने के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेते हुये प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर को तद्‌नुसार अभिमत प्रेषित करने हेतु सूचित किया जावे। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को तद्‌नुसार सूचित किया जावे।

6. मेसर्स मटिया लाईम स्टोन माईन (श्री भूपेन्द्र साहू), ग्राम–मटिया, तहसील व जिला–रायपुर (670)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन/ 72889/2018, यह आवेदन दिनांक 15/01/2018 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नम्बर 544, ग्राम–मटिया, तहसील व जिला–रायपुर के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 2.933 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 24052.5 टन / वर्ष है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान (खदान से उत्खनन प्रारंभ के समय अनुमोदित माईनिंग प्लान) की प्रति प्रस्तुत की जाये।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में अनुमोदन से भिन्न क्या माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में कभी किसी भी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? स्पष्ट की जाये। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दी जाये।
3. भू–प्रवेश अनुमति की प्रति एवं उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाये। साथ ही क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में प्रस्तुत रिटर्न की प्रति (अद्यतन स्थिति में) प्रस्तुत की जाये।
5. यह स्पष्ट किया जावे कि वर्तमान में उत्खनन संचालित है अथवा बंद? यदि उत्खनन बंद है तो उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

7. मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, तहसील एवं जिला–रायपुर (502)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /आईएनडी2/ 21665/2016, यह आवेदन दिनांक 16/01/2018 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट है। स्थापित इकाई के अंतर्गत 4 गुणा 100 मैट्रिक टन के स्टोरेज वेसल्स एवं 3 गुणा 450 मैट्रिक टन के माउण्डेड स्टोरेज वेसल्स स्थापित हैं। क्षमता विस्तार के तहत् 2x600 मैट्रिक

टन के माउण्डेड स्टोरेज वेसल्स स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग स्थल सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया (फेस–1) के प्लाट नं. 17, 18, 55 से 68, 69(पार्ट), 14(पार्ट), तहसील एवं जिला–रायपुर के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 26.93 एकड़ में स्थापित है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1415 दिनांक 21/03/2017 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 6(बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) आइसोलेटेड स्टोरेज एण्ड हेन्डलिंग ऑफ हजार्डस केमिकल्स (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSIHC Rules 1989 amended 2000) हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/01/2018 को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्रस्तुत की जाये।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 192 दिनांक 16/03/2012 के शर्तो के पालन प्रतिवेदन की बिंदुवार विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
3. स्थापित एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट के अंतर्गत 4 गुणा 100 मैट्रिक टन के स्टोरेज वेसल्स एवं 3 गुणा 450 मैट्रिक टन के माउण्डेड स्टोरेज वेसल्स हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति के शर्तो के पालन प्रतिवेदन की बिंदुवार विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. फाईनल ले–आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाये।
5. पूर्व में जारी टीओआर के शर्तो के पालन प्रतिवेदन की बिंदुवार विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
6. वर्तमान में किये गये वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण को फाईनल ले–आउट प्लान में पृथक–पृथक दर्शाते हुये संख्या एवं क्षेत्रफल सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

ऐजेन्डा आईटम नं.–3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. सरपंच, ग्राम पंचायत उसरौट, ग्राम–उसरौट, तहसील एवं जिला–रायगढ़ (153)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 32766/2015, यह आवेदन दिनांक 12/11/2015 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ था। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ़ के द्वारा पत्र क्रमांक 337/ख.लि.–1/2015 रायगढ़ दिनांक 30/07/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 01, ग्राम–उसरौट, ग्राम पंचायत उसरौट, तहसील–रायगढ़, जिला – रायगढ़ के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 5.607 हेक्टेयर में है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,25,000 घन मीटर /वर्ष है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती / जानकारी / रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खसरा नं.–01, रकबा–5.607 हेक्टेयर, क्षमता–56,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 4748 दिनांक 10/02/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:–** पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/01/2018 को उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में माण्ड नदी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार वर्ष 2012 से 2016 तक के वर्षा संबंधी आकड़ों (Rainfall data) का समावेश किया गया है। गणना अनुसार औसत वार्षिक वर्षा का कैचमेंट एरिया 5,140 वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्तानुसार 02 इंच से अधिक रन ऑफ को आधार मानकर गणना करने पर कुल रन ऑफ 936.96 मिलीमीटर है। अतः Dendy-Bolton Formula से गणना अनुसार कैचमेंट एरिया में लगभग 2,66,451.48 टन/वर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होगा।
5. वर्ष 2016 के पोस्ट मानसून एवं वर्ष 2017 के प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून आंकड़ों के अनुसार रेत उत्खनन से होने वाले पिट्स की गहराई लगभग 01 मीटर है, जिसकी समुद्र तल से उंचाई लगभग 212 मीटर (212 MSL) है। उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन किये जाने से माण्ड नदी में रेत का पुनःभराव हो जाता है।

6. रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होना बताया गया है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।

7. प्रस्तुत सिल्टेशन स्टडी में निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैं:—

- प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की अवधि में नदी में रेत सतह का आर.एल. का मापन किसके द्वारा, किस किस तिथि में, किस उपकरण की सहायता से किया गया? आर.एल. मापन हेतु बेंच मार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल. संबंधी जानकारी नहीं है। फील्ड डाटा का संग्रहण किसके द्वारा एवं कब किया गया है? उक्त तथ्यों का समावेश रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी नहीं दिया गया है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिल्टेशन स्टडी में उक्त तथ्यों / जानकारियों का समावेश किया जावे तथा प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. सरपंच, ग्राम पंचायत सरडामल (बोकरामुडा रेत खदान), ग्राम—बोकरामुडा, तहसील एवं जिला—रायगढ़ (154)

ऑनलाईन आवेदन — पूर्व में प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन /32767/2015, यह आवेदन दिनांक 13/11/2015 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ था। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ़ के द्वारा पत्र क्रमांक 337/ख.लि. —1/2015 रायगढ़ दिनांक 30/07/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण — यह एक पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पॉर्ट ऑफ खसरा नं.—312, ग्राम—बोकरामुड़ा, ग्राम पंचायत सरडामल, तहसील—रायगढ़, जिला — रायगढ़ के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 5.694 हेक्टेयर में है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता— 1,25,000 घन मीटर /वर्ष है।

समिति द्वारा विचार — एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी / रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:—

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—** पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा नं.—312, रकबा—5.694 हेक्टेयर, क्षमता—65,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 4752 दिनांक 10/02/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया है।

2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारीः–** पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/01/2018 को उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में माण्ड नदी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार वर्ष 2012 से 2016 तक के वर्षा संबंधी आकड़ों (Rainfall data) का समावेश किया गया है। गणना अनुसार औसत वार्षिक वर्षा का कैचमेंट एरिया 5,148 वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्तानुसार 02 इंच से अधिक रन ऑफ को आधार मानकर गणना करने पर कुल रन ऑफ 936.96 मिलीमीटर है। अतः Dendy-Bolton Formula से गणना अनुसार कैचमेंट एरिया में लगभग 2,66,784.34 टन/वर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होगा।

5. वर्ष 2016 के पोस्ट मानसून आंकड़े एवं वर्ष 2017 के प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून आंकड़ों के अनुसार रेत उत्खनन से होने वाले पिट्स की गहराई लगभग 01 मीटर है, जिसकी समुद्र तल से उंचाई लगभग 212 मीटर (212 MSL) है। उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन किये जाने से माण्ड नदी में रेत का पुनःभराव हो जाता है।

6. रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होना बताया गया है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।

7. प्रस्तुत सिल्टेशन स्टडी में निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैंः–

   - प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की अवधि में नदी में रेत सतह का आर.एल. का मापन किसके द्वारा, किस किस तिथि में, किस उपकरण की सहायता से किया गया? आर.एल. मापन हेतु बेंच मार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल. संबंधी जानकारी नहीं है। फील्ड डाटा का संग्रहण किसके द्वारा एवं कब किया गया है? उक्त तथ्यों का समावेश रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी नहीं दिया गया है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिल्टेशन स्टडी में उक्त तथ्यों / जानकारियों का समावेश किया जावे तथा प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. सरपंच, ग्राम पंचायत औराभाटा, ग्राम–औराभाटा, तहसील एवं जिला–रायगढ़ (144)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 32670/2015, यह आवेदन दिनांक 09/11/2015 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ था। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ़ के द्वारा पत्र क्रमांक 357/ख.लि. –1/2015 रायगढ़ दिनांक 28/07/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. पार्ट ऑफ–01, ग्राम–औराभाटा, ग्राम पंचायत औराभाटा, तहसील–रायगढ़, जिला–रायगढ़ के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 9.5 हेक्टेयर में है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,00,000 घन मीटर /वर्ष है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी / रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत पार्ट ऑफ खसरा नं.–01, रकबा–9.5 हेक्टेयर, क्षमता–95,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 4750 दिनांक 10/02/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया है।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:–** पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/01/2018 को उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में माण्ड नदी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार वर्ष 2012 से 2016 तक के वर्षा संबंधी आकड़ों (Rainfall data) का समावेश किया गया है। गणना अनुसार औसत वार्षिक वर्षा का कैचमेंट एरिया 5,145 वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्तानुसार 02 इंच से अधिक रन ऑफ को आधार मानकर गणना करने पर कुल रन ऑफ 936.961 मिलीमीटर है। अतः Dendy-Bolton Formula से गणना अनुसार कैचमेंट एरिया में लगभग 2,66,658.96 टन/वर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होगा।
5. वर्ष 2016 के पोस्ट मानसून एवं वर्ष 2017 के प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून आंकड़ों के अनुसार रेत उत्खनन से होने वाले पिट्स की गहराई लगभग 01 मीटर है, जिसकी समुद्र तल से उंचाई लगभग 212 मीटर (212 MSL) है। उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन किये जाने से माण्ड नदी में रेत का पुनःभराव हो जाता है।
6. रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होना बताया गया है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।
7. प्रस्तुत सिल्टेशन स्टडी में निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैं:–

- प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की अवधि में नदी में रेत सतह का आर.एल. का मापन किसके द्वारा, किस किस तिथि में, किस उपकरण की सहायता से किया गया? आर.एल. मापन हेतु बेंच मार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल. संबंधी जानकारी नहीं है। फील्ड डाटा का संग्रहण किसके द्वारा एवं कब किया गया है? उक्त तथ्यों का समावेश रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी नहीं दिया गया है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिल्टेशन स्टडी में उक्त तथ्यों / जानकारियों का समावेश किया जावे तथा प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

4. सरपंच, ग्राम पंचायत कंचनपुर, ग्राम–कंचनपुर, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (1594)

ऑफलाईन आवेदन – पूर्व में संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र कमांक 4076/ख.नि.–2/रेत/न.क्र.38/1996 रायपुर, दिनांक 17/08/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 14, ग्राम–कंचनपुर, ग्राम पंचायत कंचनपुर, तहसील–घरघोड़ा, जिला – रायगढ के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 5.696 हेक्टेयर में है। उत्खनन कुरकुट नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 87,094 घनमीटर /वर्ष है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी / रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा नं.–14, रकबा–5.696 हेक्टेयर, क्षमता–56,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 4258 दिनांक 03/12/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:–** पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/01/2018 को उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में कुरकुट नदी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार वर्ष 2012 से 2016 तक के वर्षा संबंधी आकड़ों (Rainfall data) का समावेश किया गया है। गणना अनुसार औसत वार्षिक वर्षा का कैचमेंट एरिया 725 वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्तानुसार 02 इंच से अधिक रन ऑफ को आधार मानकर गणना करने पर कुल रन ऑफ 936.961 मिलीमीटर है। अतः Dendy-Bolton Formula से गणना अनुसार कैचमेंट एरिया में लगभग 52,100.28 टन/वर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होगा।

5. वर्ष 2016 के पोस्ट मानसून एवं वर्ष 2017 के प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून आंकड़ों के अनुसार रेत उत्खनन से होने वाले पिट्स की गहराई लगभग 01 मीटर है, जिसकी समुद्र तल से उंचाई लगभग 280 मीटर (280 MSL) है। उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन किये जाने से कुरकुट नदी में रेत का पुनःभराव हो जाता है।

6. रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होना बताया गया है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।

7. प्रस्तुत सिल्टेशन स्टडी में निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैः–

- प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की अवधि में नदी में रेत सतह का आर.एल. का मापन किसके द्वारा, किस किस तिथि में, किस उपकरण की सहायता से किया गया? आर.एल. मापन हेतु बेंच मार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल. संबंधी जानकारी नहीं है। फील्ड डाटा का संग्रहण किसके द्वारा एवं कब किया गया है? उक्त तथ्यों का समावेश रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी नहीं दिया गया है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिल्टेशन स्टडी में उक्त तथ्यों / जानकारियों का समावेश किया जावे तथा प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. सरपंच, ग्राम पंचायत कमरीद, ग्राम–देवरघटा, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर –चांपा (2100)

ऑफलाईन आवेदन – पूर्व में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 3077/खनि.–2/न.क्र.01/2015 रायपुर दिनांक 09/06/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 273, ग्राम–देवरघटा, ग्राम पंचायत कमरीद, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 60,000 घनमीटर /वर्ष है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी / रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा नं.–273, रकबा–6.0 हेक्टेयर, क्षमता–60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 3002 दिनांक 05/10/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:–** पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/01/2018 को उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में महानदी बेसिन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार वर्ष 2012 से 2016 तक के वर्षा संबंधी आकड़ों (Rainfall data) का समावेश किया गया है। गणना अनुसार औसत वार्षिक वर्षा का कैचमेंट एरिया 43,910 वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्तानुसार 02 इंच से अधिक रन ऑफ को आधार मानकर गणना करने पर कुल रन ऑफ 1065.659 मिलीमीटर है। अतः Dendy-Bolton Formula से गणना अनुसार कैचमेंट एरिया में लगभग 9,93,880.88 टन/वर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होगा।
5. वर्ष 2017 के प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून आंकड़ों के अनुसार रेत उत्खनन से होने वाले पिट्स की गहराई लगभग 01 मीटर है, जिसकी समुद्र तल से उंचाई लगभग 219–220 मीटर (219–220 MSL) है। उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन किये जाने से महानदी बेसिन में रेत का पुनःभराव हो जाता है।
6. रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होना बताया गया है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।
7. प्रस्तुत सिल्टेशन स्टडी में निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैं:–
    - प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की अवधि में नदी में रेत सतह का आर.एल. का मापन किसके द्वारा, किस किस तिथि में, किस उपकरण की सहायता से किया गया? आर.एल. मापन हेतु बेंच मार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल. संबंधी जानकारी नहीं है। फील्ड डाटा का संग्रहण किसके द्वारा एवं कब किया गया है? उक्त तथ्यों का समावेश रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी नहीं दिया गया है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिल्टेशन स्टडी में उक्त तथ्यों / जानकारियों का समावेश किया जावे तथा प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

6. सरपंच, ग्राम पंचायत देवरी, ग्राम–देवरी, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर चांपा (2138)

ऑफलाईन आवेदन – पूर्व में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 3884/खनि.–2/रेत/न.क्र.38/1996 रायपुर दिनांक 31/07/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 865, ग्राम–देवरी, ग्राम पंचायत देवरी, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर चांपा के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 5.706 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 57,060 घनमीटर /वर्ष है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी / रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खसरा नं.–865, रकबा–5.706 हेक्टेयर, क्षमता–57,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 3000 दिनांक 05/10/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:–** पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/01/2018 को उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में महानदी बेसिन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार वर्ष 2012 से 2016 तक के वर्षा संबंधी आकड़ों (Rainfall data) का समावेश किया गया है। गणना अनुसार औसत वार्षिक वर्षा का कैचमेंट एरिया 43,920 वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्तानुसार 02 इंच से अधिक रन ऑफ को आधार मानकर गणना करने पर कुल रन ऑफ 1065.659 मिलीमीटर है। अतः Dendy-Bolton Formula से गणना अनुसार

कैचमेंट एरिया में लगभग 9,94,029.85 टन/वर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होगा।

5. वर्ष 2016 के पोस्ट मानसून एवं वर्ष 2017 के प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून आंकड़ों के अनुसार रेत उत्खनन से होने वाले पिट्स की गहराई लगभग 01 मीटर है, जिसकी समुद्र तल से उंचाई लगभग 219–220 मीटर (219–220 MSL) है। उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन किये जाने से महानदी बेसिन में रेत का पुनःभराव हो जाता है।
6. रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होना बताया गया है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।
7. प्रस्तुत सिल्टेशन स्टडी में निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैं:–

- प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की अवधि में नदी में रेत सतह का आर.एल. का मापन किसके द्वारा, किस किस तिथि में, किस उपकरण की सहायता से किया गया? आर.एल. मापन हेतु बेंच मार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल. संबंधी जानकारी नहीं है। फील्ड डाटा का संग्रहण किसके द्वारा एवं कब किया गया है? उक्त तथ्यों का समावेश रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी नहीं दिया गया है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिल्टेशन स्टडी में उक्त तथ्यों / जानकारियों का समावेश किया जावे तथा प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

7. सरपंच, ग्राम पंचायत लाटा, ग्राम–लाटा, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (452)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन /53591/2016, पूर्व में यह आवेदन दिनांक 09/05/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ था। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 267/ख.लि./रेत/2016, दिनांक 25/05/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये पूर्व में जारी र्प्यावरणीय स्वीकृति में वैद्यता वृद्धि हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 1097, ग्राम–लाटा, ग्राम पंचायत लाटा, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 5.26 हेक्टेयर में है।

उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 71,000 घनमीटर/वर्ष है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 243वीं बैठक दिनांक 27/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा नं.–1097, रकबा–5.26 हेक्टेयर, क्षमता–71,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 731 दिनांक 28/07/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:–** पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/12/2017 द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
4. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट महानदी बेसिन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार वर्ष 2012 से 2016 तक के वर्षा संबंधी आकड़ों (Rainfall data) का समावेश किया गया है। गणना अनुसार कैचमेंट एरिया में औसत वार्षिक वर्षा 1228.74 मिलीमीटर है। उपरोक्तानुसार 02 इंच से अधिक रन ऑफ को आधार मानकर गणना करने पर कुल रन ऑफ 1,093.42 मिलीमीटर है। अतः उक्त कैचमेंट एरिया में लगभग 4,27,910.82 टन/वर्ष या 2,51,712.25 घनमीटर/वर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होगा।
5. वर्ष 2016 के पोस्ट मानसून आंकड़े एवं वर्ष 2017 के प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून आंकड़ों के अनुसार रेत उत्खनन से होने वाले पिट्स की गहराई लगभग 1.5 मीटर है। जिसकी समुद्र तल से उंचाई लगभग 230 मीटर (230 MSL) है। उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन किये जाने से महानदी बेसिन में रेत का पुनःभराव हो जाता है।
6. रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होना बताया गया है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।

समिति द्वारा तत्समय यह भी नोट किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का सक्षम ढंग से पालन करने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैद्यता वृद्धि प्रकरण पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 243वीं बैठक दिनांक 27/12/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की बिंदुवार जानकारी दिनांक 16/01/2018 को प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी / रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारीः–** पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत सिल्टेशन स्टडी में निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैंः–

- प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की अवधि में नदी में रेत सतह का आर.एल. का मापन किसके द्वारा, किस किस तिथि में, किस उपकरण की सहायता से किया गया? आर.एल. मापन हेतु बेंच मार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल. संबंधी जानकारी नहीं है। फील्ड डाटा का संग्रहण किसके द्वारा एवं कब किया गया है? उक्त तथ्यों का समावेश रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 16, 25 एवं 26 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी नहीं दिया गया है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिल्टेशन स्टडी में उक्त तथ्यों / जानकारियों का समावेश किया जावे तथा प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

8. मेसर्स जल संसाधन विभाग (कुदरी बैराज), ग्राम–कुदरी, तहसील–बलोदा, जिला –जांजगीर–चांपा (1222)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /आरआईव्ही/ 21689/2014, यह आवेदन दिनांक 18/01/2018 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित परियोजना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कुदरी, तहसील–बलोदा, जिला–जांजगीर–चांपा में कुदरी बैराज के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2825 दिनांक 28/09/2015 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(सी) रिवर वेली प्रोजेक्ट्स हेतु निर्धारित टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) लोक सुनवाई सहित जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/01/2018 (दिनांक 18/01/2018 के द्वारा ऑनलाईन) को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

लोक सुनवाई दिनांक 07/07/2017 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान प्राथमिक शाला कुदरी, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई

दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर के पत्र दिनांक 10/08/2017 द्वारा प्रेषित किया गया है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 247वीं बैठक दिनांक 20/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. फाईनल ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाये।
2. पूर्व में जारी टीओआर के शर्तो के पालन की बिंदुवार विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
3. लोक सुनवाई उठाये गये आपत्ति / सुझाव / मुद्दो की बिंदुवार जानकारी एवं इनके निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण (पर्यावरण प्रबंधन योजना सहित) प्रस्तुत की जाये।
4. परियोजना के निर्माण कार्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरुण प्रसाद)	**(धीरेन्द्र शर्मा)**
सचिव,	अध्यक्ष,
राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,	राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़